न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या –145/2015 (अपील)

भवानीराम पुत्र श्री कंवरलाल जाति पाटीदार निवासी ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––अपीलांट

बनाम

बालचंद पुत्र कूका जाति बैरवा निवासी ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 24.12.2019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी के सम्बन्ध में प्रकरण सं0 2/2014 में दिनांक 17.04.2015 को पारित निर्णय "अप्रार्थी एवं प्रार्थी को जवाब साक्ष्य हेतु अवसर दिया गया, परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, परन्तु रेकार्ड अनुसार ग्राम जुल्मी में खाता संख्या 144 में सह खातेदार हिस्सा 1/3 शामलाती खातेदार है । ख.नं. 2835 रकबा 0.01 हे0 तथा ख.नं. 2836 रकबा 1.36 हे0 हिस्सा 1/3 बिना विधिक प्राधिकार के अप्रार्थी का अवैध कब्जा है तथा प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है । अतः प्रार्थी के खाते की उक्त आराजी से अप्रार्थी को बेदखल किए जाने के आदेश दिए जाते है । पटवारी हल्का को पालना हेतु तहरीर जारी हो ।" बाबत आदेश पारित किया गया ।
2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता से यह अपील दिनांक 30.09.2015 को इस न्यायालय में पेश की गई है कि रेस्पो0 के द्वारा स्वयं को बैरवा अनुसूचित जाति का सदस्य बताते हुये ग्राम जुल्मी तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा में स्थित खसरा नम्बर 1011, 1270, 2835, 2836 कुल चार कुल रकबा 1.42 हे0 भूमि जिसमें से 1/3 उसेका हिस्सा निहित है, पर अपीलांट का कब्जा बताते हुये अपीलांट को बेदखल करने की सहायता चाही गयी । अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.4.2015 को उक्त वर्णित आराजी में 1/3 हिस्सा से अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित किया, पारित आदेश विधिक संचिका में सिद्वि प्राप्त तथ्यों एवं स्थापित कानून के सर्वथा विपरीत है तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना आपत्तियां

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

मांगे पारित किया गया है जो निरस्तनीय है । रेस्पो0 ने केवल स्वयं की जाति बतायी है, धारा 183 बी में जमीन किस जाति के व्यक्ति की खातेदारी में है, यह देखा जाता है उसके द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी में जाति लश्करी लिखा हुआ है । उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी जुल्मी की रिपोर्ट मंगवाई थी, जिसमें पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में यह वर्णित किया है कि उक्त आराजी में भवानी काबिज काश्त है और उक्त आराजी में जाति लश्करी वर्णित है जो अनुसूचित जाति में नहीं आती है ऐसी परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पर्याप्त मेटेरियल ऑन रिकार्ड मौजूद था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 की जाति अनुसूचित जाति में शामिल मानते हुये अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है, जबकि खातेदारी में जाति लश्करी दर्ज है जो कि जनरल जाति में आती है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 की जाति किस आधार पर रेस्पो0 की जाति अनुसूचित जाति में आना माना यह कहीं प्रकट नहीं किया गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश निरस्तनीय है । इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो0 कूका का वारिस है और कूका ने दिनांक 17.9. 2001 को ही उक्त आराजी परमानंद को विक्रय कर दी थी । अपीलांट उस पर काबिज काश्त है अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये उक्त आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है । उक्त जमीन मूल रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने जमीन जिस व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज है, उसकी जाति नहीं देखी है केवल पक्षकारान की जाति देखी है, जबकि धारा 183 बी में जमीन किस जाति के व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज है, इस तथ्य के आधार पर धारा 183–बी लेकर आया है जो किसी भी प्रकार से मेन्टेनेबल नहीं है । अपीलांट द्वारा मिलिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि उक्त निर्णय के सम्बन्ध में जानकारी नहीं थी, अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश को डिस्क्लोज नहीं किया एवं निर्णय की जानकारी नहीं दी गयी । दिनांक 7.5.2015 को नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 7.9.2015 को नकल प्राप्त की गई इस प्रकार नकल के दिन मुजरा देने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये, नोटिस बाद तामिल प्राप्त, रेस्पो0 की ओर से श्री रामकिशन वर्मा अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ, किन्तु दौराने बहस रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए, ना ही रेस्पो0 की ओर से कोई वकील उपस्थित हुआ । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई एवं रेस्पोडेन्ट एवं वकील रेस्पो0 के अनुपस्थित रहने की स्थिति में वकीय अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों के तथ्यों को दौहराते हुए जाहिर किया कि बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना आपत्तियां मांगे पारित किया गया है जो निरस्तनीय है । रेस्पो0 ने केवल स्वयं की जाति बतायी है, धारा 183 बी में जमीन किस जाति के व्यक्ति

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

की खातेदारी में है, यह देखा जाता है उसके द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी में जाति लश्करी लिखा हुआ है । उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी जुल्मी की रिपोर्ट मंगवाई थी, जिसमें पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में यह वर्णित किया है कि उक्त आराजी में भवानी काबिज काश्त है और उक्त आराजी में जाति लश्करी वर्णित है जो अनुसूचित जाति में नहीं आती है ऐसी परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पर्याप्त मेटेरियल ऑन रिकार्ड मौजूद था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 की जाति अनुसूचित जाति में शामिल मानते हुये अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है, जबकि खातेदारी में जाति लश्करी दर्ज है जो कि जनरल जाति में आती है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 की जाति किस आधार पर रेस्पो0 की जाति अनुसूचित जाति में आना माना यह कहीं प्रकट नहीं किया गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश निरस्तनीय है । इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो0 कूका का वारिस है और कूका ने दिनांक 17.9.2001 को ही उक्त आराजी परमानंद को विक्रय कर दी थी । अपीलांट उस पर काबिज काश्त है अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये उक्त आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है । उक्त जमीन मूल रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने जमीन जिस व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज है, उसकी जाति नहीं देखी है केवल पक्षकारान की जाति देखी है, जबकि धारा 183 बी में जमीन किस जाति के व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज है, इस तथ्य के आधार पर धारा 183–बी लेकर आया है जो किसी भी प्रकार से मेन्टेनेबल नहीं है।

5. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । चूंकि रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित है तथा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसी स्थिति में इस अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है । अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी के निर्णय दिनांक 17.04.2015 के विरूद्व दिनांक 30.9.2015 को पेश की गई है, जो मियाद बाहर है । किन्तु लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश को डिस्क्लोज नहीं किया एवं निर्णय की जानकारी नहीं दी गयी । निर्णय की प्रथम जानकारी दिनांक 7.5.2015 को होना बताया जिस पर दिनांक 7.5.2015 को ही नकल का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 7.9.2015 को नकल मिलने का कथन किया । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए माफ किया जाकर लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

6. अपीलांट द्वारा अपील में मुख्यरूप से यह प्रकट किया है कि रेस्पोडेन्ट की जाति लश्करी होकर लश्करी जाति सामान्य में आती है, रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, तथा यह भी तथ्य अंकित किया है कि रेस्पो0 कूका का वारिस है और कूका ने दिनांक 17.9.2001 को ही उक्त आराजी परमानंद को विक्रय कर दी थी,

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

अपीलांट उस पर काबिज काश्त है । रेस्पोडेन्ट की ओर से पत्रावली में फर्द के साथ प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र अनुसार बालचन्द, बैरवा जाति का होकर अनुसूचित जाति के अन्तर्गत होना अंकित है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा क्रमांक/912 दिनांक 11.7.2008 से जारी जाति प्रमाण पत्र से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति का सदस्य है ऐसी स्थिति में तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा जारी आदेश अन्तर्गत धारा 183–बी रा0 का0 अधि0 दिनांक 17.4.2015 में कोई विधिक त्रुटि नहीं मानते है ।

7. परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.04.2015 अन्तर्गत धारा 183–बी आर0टी0एक्ट यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर,
कोटा

Scanned by CamScanner